प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/ बी0डी0ए0 /2012–13/ 571-72 दिनॉक 22 06.2012

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत् ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत् हैं कि जनपदों में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई तथा ब्लॉक प्रबन्धन इकाई क्रियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी एवं नियमित सेवाओं के स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं। जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई पर कार्यरत विभिन्न कर्मियों के लिए मानदेय एवं अन्य ऑपरेशनल एक्सपेन्सेज के मद में धनराशि तथा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम प्रबन्धक नियमित सेवा के कर्मी हैं, अतः इनका वेतन जनपद स्तर पर स्टेट बजट से आहरित किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट का मानदेय रु0 8,800.00 प्रतिमाह की दर से वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत् किया गया है तथा जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 745 ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट कार्यरत हैं, जिनके लिए संलग्न सूची के अनुसार 6 माह हेतु मानदेय की धनराशि अवमुक्त् की जा रही है। संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु जो सामान्य नियम पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, वे ही इनके लिए भी लागू होंगे तथा पुनः निम्नवत् प्रेषित हैः–

संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। इस आदेश में जो निर्देश दिये गये हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण किया जायेगा।
3. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि

यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. सम्बन्धित संविदा कर्मी का माह अप्रैल, 2012 का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप–1 (पत्र के साथ संलग्न) पर सूचना भरकर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय में प्रेषित की जाय, नहीं तो माह जून, 2012 के बाद सम्बन्धित जनपद के संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी जायेगी।
5. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के साथ ही किया जायेगा।
6. किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।
7. ब्लॉक डेटा एकाउंट असिस्टेन्ट के लिए बेन्चमार्क चिन्हित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे के प्रस्तरों में दिया जा रहा है। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित बेन्चमार्कों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
8. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदनोपरान्त पुर्नअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके माह मई, 2012 तक के मानदेय का भुगतान योगदान की तिथि के अनुरूप जनपदवार दी गई स्वीकृत संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार तत्काल कर दिया जाय। **माह जून, 2012 से** संविदा **कर्मियों के मानदेय का भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं बेन्चमार्कों की समीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा।**
9. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मी नियमित सेवाओं के कर्मियों की भाँति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें साप्ताहिक/आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व अनुमति के पश्चात देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।
10. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. संविदा कर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
12. संविदा कर्मी अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

13. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा सम्भव पालन किया जायेगा।

14. संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में कार्यरत समस्त ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट के अब तक के कार्यों की गहन समीक्षा सुनिश्चित करें तथा माह जून, 2012 से निम्न बेन्चमार्क पूरे होने पर ही मानदेय के भुगतान की कार्यवाही करें।

क–ब्लॉक की समस्त ए0एन0एम0 के एम0सी0एच0 रजिस्टर की सूचनायें माहवार अद्यतन हों।

ख–एम0सी0टी0एस0 की अद्यतन सूचना कम्प्यूटरीकृत हों।

ग–एच0एम0आई0एस0 की अद्यतन सूचना कम्प्यूटरीकृत हों।

घ–जननी सुरक्षा योजना की 7 दिन पूर्व तक की सूचना वेबसाइट पर हो।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर से की जाने वाली समस्त सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण एवं रिपोर्टिंग का कार्य तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (बी0एच0ई0ओ0) को कम्प्यूटर संबंधित समस्त सहयोग भी इनके द्वारा किया जायेगा। जब तक माहवार बेन्चमार्कों की प्राप्ति नही होगी, तब तक अगले माह के मानदेय का भुगतान न किया जाय। निम्न प्रपत्र–1 पर पूरी सूचना भरकर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित की जाय।

प्रपत्र–1

<u>तैनात/अनुबंधित ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट का विवरण (माह मई, 2012 तक की स्थिति)</u>

जनपद का नाम : ....

क्रम सं0	**पदनाम**	**संविदा कर्मी का नाम एवं पता**	**संविदा कर्मी का मोबाइल नम्बर**	**पिता/पति का नाम**	**तैनाती का स्थान**	**तैनाती की तिथि**	**फोटो**
ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट–स्वीकृत पदों की संख्या							

नोटः– प्रत्येक स्तर के कर्मी के नाम के सम्मुख फोटो भी प्रदर्शित की जायेगी।

FMR Code A.10.3

SNO.	District	Target No. of Post Block Data Cum Account Assistant	Working no. of Block Data cum account Assistant	Salary amount of six months w.e.f. April 12 to September 2012 (@Rs. 8800.00 per month per block data cum account assistant)
1	Agra	15	12	633600
2	Aligarh	12	12	633600
3	Allahabad	20	18	950400
4	Ambedkar Nagar	9	8	422400
5	Auraiya	7	7	369600
6	Azamgarh	22	19	1003200
7	Badaun***	18	15	792000
8	Baghpat	6	3	158400
9	Bahraich	14	14	739200
10	Ballia	17	17	897600
11	Balrampur	9	9	475200
12	Banda	8	7	369600
13	Barabanki	15	14	739200
14	Bareilly	15	15	792000
15	Basti	14	12	633600
16	Bijnor	11	11	580800
17	Bulandshahar	16	12	633600
18	Chandauli	9	9	475200
19	Chitrakoot	5	4	211200
20	CSM Nagar	16	14	739200
21	Deoria	16	15	792000
22	Etah	8	7	369600
23	Etawah	8	8	422400
24	Faizabad	11	8	422400
25	Farrukhabad	7	7	369600
26	Fatehpur	13	11	580800
27	Firozabad	9	8	422400
28	GB Nagar	4	4	211200
29	Ghaziabad*	8	8	422400
30	Ghazipur	16	16	844800
31	Gonda	16	16	844800
32	Gorakhpur	19	19	1003200
33	Hamirpur	7	7	369600
34	Hardoi	19	16	844800
35	Hathras	7	7	369600
36	Jalaun	9	9	475200
37	Jaunpur	20	18	950400
38	Jhansi	8	8	422400

39	JP Nagar	6	6	316800
40	Kannauj	8	7	369600
41	Kanpur Nagar	10	10	528000
42	Kasiram Nagar	7	6	316800
43	Kaushambi	8	8	422400
44	Kushinagar	14	14	739200
45	Lakhimpur Kheri	15	10	528000
46	Lalitpur	6	5	264000
47	Lucknow	8	6	316800
48	Maharajganj	12	12	633600
49	Mahoba	4	4	211200
50	Mainpuri	9	7	369600
51	Mathura	10	10	528000
52	Mau	9	9	475200
53	Meerut	12	9	475200
54	Mirzapur	12	9	475200
55	Moradabad***	13	13	686400
56	Muzaffarnagar**	14	14	739200
57	Pilibhit	7	7	369600
58	Pratapgarh	17	16	844800
59	Raebareli	15	13	686400
60	Ram Bai Nagar	10	10	528000
61	Rampur	6	6	316800
62	Saharanpur	11	11	580800
63	Sant Kabir Nagar	9	6	316800
64	Shahjahanpur	15	14	739200
65	Shrawasti	5	4	211200
66	Siddharth Nagar	14	12	633600
67	Sitapur	19	16	844800
68	Sonbhadra	8	8	422400
69	SRN – Bhadohi	6	5	264000
70	Sultanpur	14	13	686400
71	Unnao	16	13	686400
72	Varanasi	8	8	422400
		820	**745**	**39336000**

रू0 3,93,36,000.00 (रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख छत्तीस हजार मात्र)

The following new three districts figure is included in old districts as per approved PIP 2012-13

(29) Ghaziabad*(Includes Panchsheel Nagar),
56)Muzaffarnagar(Includes Prabudh Nagar)**
(07)Badaun* & (55) Moradabad ***(Includes Bheem Nagar)**

वित्त पोषण –

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये जाने वाले समस्त ब्लॉक डेटा कम एकाउण्ट असिस्टेन्ट के मानदेय का भुगतान आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–ए 10.3 से किया जायेगा।

भवदीय,

18/06/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बी0डी0ए0/2012–13/ **दिनॉक : 06.2011**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(संजय श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (प्रशासन)